न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 14/295

1. लीलाबाई पत्नी घनश्याम जाति मेघवाल निवासी ग्राम ढाणी के पास मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. रूकमणी पत्नी गणेश जाति मेघवाल निवासी ढाणी के पास मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. संतोष मेवाडा पत्नी रमेश चन्द मेवाडा कलालों का खूंट मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. गुलाब चन्द पुत्र स्व0 हरिशंकर जाति अहीर निवासी मण्डाना कोटा ।
2. लक्ष्मीबाई पुत्री स्व0 हरिशंकर जाति अहीर निवासी मण्डाना कोटा ।
3. सुनीता पुत्री स्व0 हरिशंकर जाति अहीर निवासी मण्डाना कोटा ।
4. रोहित पुत्र स्व0 हरिशंकर जाति अहीर निवासी मण्डाना कोटा ।
5. रतनबाई पत्नी हरिशंकर जाति अहीर निवासी मण्डाना कोटा ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित - 1. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 27.09.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.10.2013 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 से 5 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया किया कि ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा में साबिक खसरा नम्बर 494 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 479 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा कुल 02 किात रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण के पिता द्वारा दिनांक 25.10.1977 को नियमन करवायी थी जो नामान्तरकरण संख्या 581 के तहत वादी के

पिता के नाम नामान्तरकरण तस्दीक होकर उक्त भूमि उनके गैर खातेदारी में दर्ज हुई । बाद सेटलमेंट ने उक्त आराजी के नये खसरा नम्बर 355 व 588 कायम किये । उक्त भूमि पर वादीगण के पिता कई वर्षों तक काबिज काश्त रहे और आज भी उक्त भूमि पर काबिज काश्त हैं । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैर खातेदारी में दर्ज चली आ रही है । उक्त आराजी को वादीगण अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी हैं । उक्त भूमि वादीगण की गैरखातेदारी में होने से प्रतिवादी कम 1 से 3 द्वारा अवैध रूप से जबरन ताकत के बल पर उक्त भूमि को हडपने की धमकी दी जा रही है और उक्त भूमि पर निर्माण कार्य करवाने हेतु पत्थर डाल दिये हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है ।

3. अतः वाद वादी के पक्ष में स्वीकार किया जाकर इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड से गैर खातेदारी को हटाते हुए राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पिता के स्थान पर वादीगण को खातेदार दर्ज किया जावे । प्रतिवादी कम 1 से 3 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी पर वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे न ही कोई निर्माण कार्य करें और न ही आराजी को अकृषि कार्य हेतु उपयोग करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.10.2013 के द्वारा वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.10.2013 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी कम 01 लगायत 03 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए वादीगण को रकबा 05 बीघा का खातेदार घोषित किया जो राजस्व रिकॉर्ड व वादपत्र के विपरीत है । वादीगण के पिता ने उक्त भूमि पर कभी भी काश्त नहीं की थी । आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने से वादीगण के पिता का आवंटन निरस्त कर आराजी सरकारी सिवायचक दर्ज की गई थी । वर्तमान में भी उक्त भूमि सरकारी सिवायचक दर्ज है । वादीगण रेस्पोडेन्ट उक्त भूमि पर अतिक्रमी हैं और एक अतिक्रमी को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । सरकारी सिवायचक भूमि पर कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से वादीगण का वाद डिक्री किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.10.2013 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी अपीलान्ट को तब हुई जब रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपीलान्टगण को उक्त भूमि से हटाने व अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्टगण के विरूद्ध धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद प्रस्तुत करने और उस वाद में दिनांक 19.11.2014 को उपस्थित होने पर जानकारी हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 02.12.2014 को जिला रिकॉर्ड रूम में नकल हेतु आवेदन किया जिस

पर दिनांक 08.12.2014 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण के द्वारा ग्राम मण्डाना में स्थित आराजी पूर्व खसरा नम्बर 494 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 479 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा कुल 02 किता रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा थे जिसके वर्तमान में हाल खसरा नम्बर 355 एवं 588 कायम किये गये हैं जिस पर वादीगण को गैर खातेदारी प्रदान की गई थी । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादीगण को खसरा नम्बर 355 और 588 की 05 बीघा आराजी पर हक घोषणा का दावा पेश किया गया था । इस आराजी पर कभी भी रेस्पोडेन्टगण का कब्जा नहीं रहा है । आवंटन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण आराजी को सिवायचक दर्ज किया गया था । आराजी सिवायचक है अतिक्रमी को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। रेस्पोडेन्ट का कब्जा प्रमाणित नहीं है । सरकारी आराजी पर यदि किसी का कब्जा है यदि वह अतिक्रमी की हैसियत से उस पर काबिज है तो उसे बेदखल कर देना चाहिए । वादग्रस्त आराजी सिवायचक दर्ज है जिसमें राज्य सरकार को धारा 80 सीपीसी के तहत नोटिस दिया जाना आवश्यक है जो नहीं दिये गये हैं । धारा 80 (2) के प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है । आराजी की किस्म गै0मु0 पठार है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.10.2013 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट को आवंटन/नियमन की गई थी और मौके पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त है । सेटलमेंट के उपरान्त उसके नये खसरा नम्बर 355 एवं 588 कायम किये गये हैं । आराजी वादीगण के कब्जे काश्त की है । लगान पिलाई वादीगण जमा करते हैं । सेटलमेंट विभाग को आराजी को सिवायचक दर्ज करने का अधिकार नहीं है । वादीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार घोषित होने के अधिकारी हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन कर और मौके की रिपोर्ट का अवलोकन कर निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को चैलेंज करने का कोई अधिकार नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 30.10.2013 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2065–68 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 355 रकबा 1.57 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 588 रकबा 0.96 हैक्टर आराजी सरकार के खाते में दर्ज है । इसी प्रकार नकल जमाबन्दी संवत् 2065–68 में आराजी खरा नम्बर 355 एवं 588 की आराजी सरकार के खाते में दर्ज है इसमें खसरा नम्बर 588 की किस्म गै0मु0 पठार है । नामान्तरकरण संख्या 581 की प्रमाणित प्रति भी पत्रावली पर संलग्न है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 484 का रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा एंव खसरा नम्बर 479 का 01 बीघा 14 बिस्वा कुल 04 बीघा 19 बिस्वा सरकारी सिवायचक में से हरिशंकर पुत्र माधो की गैर खातेदारी में दर्ज करने का नोट अंकित है । मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 484 मिन और खसरा नम्बर 1058 मिन के हाल खसरा नम्बर 355 रकबा 1.57 हैक्टर कायम किये हैं और साबिक खसरा नम्बर 484 मिन के हाल खसरा नम्बर 588 रकबा 0.96 हैक्टर कायम किये हैं । नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2034 पत्रावली पर संलग्न है जिसमें साबिक खसरा नम्बर 484 की 12 बीघा 14 बिस्वा भूमि गै0मु0 पठार के रूप में सरकार के खाते में दर्ज है और उसमें नामान्तरकरण संख्या 581 का नोट अंकित है । नकल खसरा परिवर्तनशील संवत् 2051–53 भी पत्रावली पर संलग्न है जिसके अनुसार हाल खसरा नम्बर 355 रकबा 0.60 हैक्टर भूमि पर हरिशंकर पुत्र माधो दर्ज किया गया है । खसरा गिरदावरी संवत् 2066–68 भी पत्रावली पर संलग्न है और संवत् 2054 एवं संवत् 2049 की खसरा परिवर्तनशील भी पत्रावली पर संलग्न किये गये हैं ।

12. पत्रावली पर वादी की ओर से पेश शपथ पत्र गुलाबचन्द पीडब्ल्यू–1 संलग्न है परन्तु गुलाबचन्द ने अपने शपथपत्र की न्यायालय में उपस्थित होकर ताईद नहीं की गई है । इसी प्रकार पीडब्ल्यू– 2 एवं पीडब्ल्यू–3 के रूप में गवाहों ने अपने शपथपत्रों की न्यायालय में उपस्थति होकर ताईद नहीं की है ।

13. पत्रावली पर धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के नोटिस भी संलग्न है एवं नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतियॉं भी संलग्न की गई हैं । पत्रावली पर एक रिपोर्ट तहसील की संलग्न है जिसमें हाल खसरा नम्बर 355 और 588 में से खसरा नम्बर 355 की 1.57 हैक्टर में से 0.60 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 588 की 0.96 हैक्टर में से 0.20 हैक्टर पर हरिशंकर के वारिसान गुलाबचन्द वगै0 का अतिक्रमण बताया गया है । अपील में रेस्पोडेन्ट की ओर से कुछ दस्तावेजात पेश किये गये हैं यह दस्तावेज नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति और भू–प्रबन्ध विभाग का खसरा पत्र हैं ।

14. पत्रावली पर नकल नामान्तरकरण संख्या 581 के अनुसार हरिशंकर पुत्र माधो को खसरा नम्बर 484 की रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा और खसरा नम्बर 479 की रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा कुल 04 बीघा 19 बिस्वा आराजी पर गैर खातेदारी दिया जाना अंकित है । नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग के अनुसार हाल खसरा नम्बर 355 के साबिक खसरा नम्बर 484 मिन और 1058 मिन से मिलकर बने हैं और इनका रकबा 1.57 हैक्टर है इसमें साबिक खसरा नम्बर 484 मिन का कितना रकबा शामिल किया गया है यह अंकित नहीं है । इस प्रकार खसरा नम्बर 484 मिन का हाल खसरा नम्बर 588 रकबा 0.96 हैक्टर दर्ज किया गया है । इसमें भी साबिक खसरा नम्बर 484 मिन का कितना रकबा है यह अंकित नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादी को हाल खसरा नम्बर 355 रकबा 1. 57 हैक्टर में से 0.60 हैक्टर और हाल खसरा नम्बर 588 रकबा 0.96 हैक्टर में से 0.20 हैक्टर आराजी पर गैर खातेदारी प्रदान की गई है । मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल खसरा नम्बर 355 और 588 दोनों के ही

साबिक खसरा नम्बर वादी को आवंटित अन्य खसरा नम्बर 479 नहीं हैं वरन् खसरा नम्बर 484 और 1058 हैं।

15. अपील में जो भू–प्रबन्ध विभाग के खसरा पत्र की नकल पेश की गई है उसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 479 के वर्तमान खसरा नम्बर 360 अंकित किये गये हैं और इसमें खसरा नम्बर 479 का रकबा अंकित नहीं किया गया है । वादी के द्वारा हाल खसरा नम्बर 360 में हक घोषणा नही मांगी वरन् उनके द्वारा हाल खसरा नम्बर 355 और खसरा नम्बर 588 में हक घोषणा मांगी है । मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नम्बर 355 और 588 साबिक खसरा नम्बर 484 मिन और खसरा नम्बर 1058 मिन से बने हैं । वादी को साबिक खसरा नम्बर 484 की 03 बीघा 05 बिस्वा आराजी ही आवंटित हुई थी । हाल राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 355 और खसरा नम्बर 588 सरकारी सिवायचक दर्ज है जिसमें से खसरा नम्बर 588 की किस्म गै0मु0 पठार अंकित है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । वादी ने अपने दावे में यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि उनको गैर खातेदारी मिलने के उपरान्त वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक किस आदेश से हुई वरन् उनके द्वारा दावे में अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी उनकी गैर खातेदारी में दर्ज है जबकि उनके द्वारा पेश किये दस्तावेजात में वादग्रस्त आराजी उनके गैर खातेदारी में न होकर सरकारी सिवायचक दर्ज है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से 0.80 हैक्टर आराजी पर वादीगण को गैर खातेदारी प्रदान की गई है जबकि पेश किये दस्तावेजात के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 484 की 03 बीघा 05 बिस्वा आराजी ही उनको नियमन हुई थी । 03 बीघा 05 बिस्वा आराजी के लिए यदि वादी के दावे को सही माना जावे तो भी 03 बीघा 05 बिस्वा के अधिकतम 0.52 हैक्टर बनते हैं । यदि वादी का दावा पूर्ण रूप से प्रमाणित पाया जाता है तो भी उन्हें अधिकतम 0.52 हैक्टर पर गैर खातेदारी दी जा सकती है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने उससे कहीं अधिक 0.80 हैक्टर सरकारी आराजी पर गैर खातेदारी दी है । जिसमें से खसरा नम्बर 588 की रकबा 0.20 हैक्टर आराजी गैर मु0 पाठर है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधाननुसार खातेदार नहीं दी जा सकती । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर 0.80 हैक्टर पर खातेदारी प्रदान की है जो कि आपत्तिजनक है ।

16. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गैर खातेदारी अधिकार प्रदान करने के उपरान्त तहसीलदार लाडपुरा को खातेदारी प्रदान करने की हिदायत दी है जबकि गैर खातेदार को खातेदारी अधिकार प्रदान करने का अधिकार तहसीलदार को न होकर आवंटन अधिकारी हो होता है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा यह निर्देश भी विधिक प्रावधानों के विपरीत दिये हैं ।

17. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा सीपीसी की पालना भी नहीं की गई है और न ही दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया है और न ही पेश किये गये शपथ पत्रों के शपथग्रहिताओं से न्यायालय में उपस्थित होकर शपथ पत्रों की ताईद करवायी है जो कि सीपीसी की पालना में अनिवार्य है । खसरा नम्बर 588 की किस्म गैर मु0 पठार है जिसमें खातेदारी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं दिये जा सकते । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए इन खसरा नम्बर पर गैर खातेदारी प्रदान की है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

18. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकारी की ओर से इस न्यायालय में कोई अपील पेश नहीं की गई है जबकि राजकीय भूमि में गैर खातेदारी देने के कारण सरकार के हित प्रभावित हुए हैं और तहसीलदार को इसकी अपील भूमिधारक के रूप में करनी चाहिए थी ।

19. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.10.2013 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पैरा संख्या 14 से 18 में किये गये विवेचन को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम यह जॉच करें कि वादी रेस्पोडेन्ट को साबिक खसरा नम्बर 484 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 479 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा को गैर खातेदारी मिलने के उपरान्त किस आदेश से सिवायचक दर्ज हुई है और साथ ही समस्त दस्तावेजात एवं राजस्व रिकॉर्ड की जॉच करने के उपरान्त नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 20.11.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों । निर्णय की एक प्रति जिला कलक्टर, कोटा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे ।

20. निर्णय आज दिनांक 27.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/9/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा